



छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार
संरक्षण आयोग



unicef 
for every child



-: मेरी आवाज :-

ऑनलाइन शिकायत करने की सहायक पुस्तिका

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

जे-6/7, अवन्ति विहार, सेक्टर-1, ए.टी.एम. चौक पास, रायपुर (छ.ग)

संपर्क 0771-2420095, टोल फ्री : 1800-233-055

Email: cgscpcr@gmail.com

1. बच्चा कौन है ?

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूरी नहीं की है वो बच्चा है ।

2. बाल अधिकार क्या है?

बाल अधिकारों को चार भागों में बांटा जा सकता है

- 1) **जीवन जीने का अधिकार** : - पहला हक है जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड्का हो या लडकी हो, सेहत सबकी अच्छी हो।
- 2) **विकास का अधिकार** : - दूसरा हक है विकास का, जीवन मे प्रकास का, शिक्षा हो गुणवत्तायुक्त, मनोरंजक पर डर से मुक्त।
- 3) **संरक्षण का अधिकार** : - तीसरा हक है संरक्षण का, शोषण से है रक्षण का श्रम, व्यापार या बाल विवाह, नहीं करें बचपन तबाह।
- 4) **सहभागिता का अधिकार** : - चौथा हक की बात करें, सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे हों उनसे जुड़े तो, बच्चों की भी बात सुनें।

3. क्या है “मेरी आवाज़”?

“मेरी आवाज़” छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार सरक्षण आयोग एवं यूनिसेफ के सहयोग से पहल की गयी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है जहाँ कोई भी ब्यक्ति व बच्चा खुद भी निम्न कारणों के लिए शिकायत कर सकता है ।

- बाल अधिकारों का उलंघन होने पर
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का पालन नहीं होने पर
- लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 का पालन नहीं होने पर
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पालन नहीं होने पर
- बाल अधिकार संबंधित शासन के नीतिगत निर्णय का पालन नहीं होने पर
- बाल अधिकार संबंधित अनुदेश /निर्देश का पालन नहीं होने पर
- बाल अधिकार संबंधित शासन के योजनार्ये का पालन नहीं होने पर
- बाल अधिकार संबंधित अन्य कारण पर

4. मैं आवेदन कैसे जमा करूँ ?

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार सरक्षण आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया शिकायत या “मेरी आवाज़” बॉक्स को क्लिक करने पर आपको एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको भरना होगा । शिकायत से संबंधित अगर कोई दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं तो निम्न अनुसार संलग्न करे एवं जमा करें । शिकायत करने के बाद आपको एक शिकायत संख्या और पासवर्ड मिलेगा जो आपकी शिकायत की स्थिति जानने में मदद करेगा ।

5. क्या मैं अपनी शिकायत की स्थिति जान सकता हूँ ?

हाँ, आप अपने केस की स्थिति जान सकते हैं। आयोग के वेबसाइट में “शिकायत की स्थिति” के नाम पर अलग से एक कमांड बॉक्स प्रदर्शित है, जिसको क्लिक करने पर आपको दिया गया केस की आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि (Entry) करने पर, आपको केस की स्थिति प्राप्त हो जाएगा।

6. शिकायत के अन्य माध्यम क्या है ?

- ऑनलाइन आवेदन के अलावा आप चाहें तो आयोग के टोल फ्री नंबर (1800-233-0055) भी शिकायत कर सकते हैं।
- आप आयोग के ऑफिस जा कर भी शिकायत कर सकते हैं।
- आप आयोग के ऑफिस पते पर डाक द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं।

7. आयोग की शिकायत निवारण प्रक्रिया क्या है।

1. शिकायत का पंजीयन करना।
2. स्वीकार किए गए शिकायत को आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष अग्रिम स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत करना।
3. शिकायत को 2 सदस्यों की बैंच के समक्ष प्रस्तुत करना
4. आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा में संबंधित विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करना।
5. सुनवाई के लिए संबंधितों को सम्मन जारी कर सुनवाई करना।
6. संज्ञान अथवा शिकायत के आधार पर स्थल पर जा कर जाँच करना। प्रकरण की स्थिति को हमेशा अद्यतन करना।
7. शिकायत की समग्र परीक्षण/जांच कर निर्णय लेना व संबंधित को मेरी आवाज के माध्यम से अवगत कराना।

XXX



State Office for Chhattisgarh
Katora Talab, Civil Lines,
Raipur, Pin- 492001
Chhattisgarh, India
Phone No. 0771-4245700



छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार
संरक्षण आयोग

J-6/7, Avanti Vihar, Sector-1
Near A.T.M Chowk,
Raipur, Pin- 492001
Chhattisgarh, India
Phone No. 0771-2420095
Email: cgscpcr@gmail.com